



प्रावधिक-पत्र
विज्ञापन की शर्तों के
अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001
फोन नं. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 1868 / 14 / चयन / 2020

दिनांक 26 AUG 2020

दस्तावेज सत्यापन-पत्र

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)

महोदय/महोदया,

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग) के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित पाली प्रथम पाली- पूर्वाह्न 09.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली- अपराह्न 01.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित/अनर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. दस्तावेज सत्यापन के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दें।

- 2.1 सफलतापूर्वक ऑनलॉइन दस्तावेज सत्यापन बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) (तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकती है।
- 2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। (अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा) अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
- 2.3 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग) के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 04 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 12.02.2020 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 19.02.2020 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन की कंडिका (2) के (iv) के अनुसार अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19/06/2020 तक का अथवा इसके पूर्व का होना अनिवार्य है। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

Handwritten signature

- 2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात् पुनर्वधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.10 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आय सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.11 आपके द्वारा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग) के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआउट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पैन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को साक्षात्कार के लिये अनर्ह माना जायेगा।
5. विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2020 से की जायेगी।
6. नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हैंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हैंड सेनेटाईजर के बिना दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होगा उन्हें दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

26.8.2020
परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

दस्तावेज सत्यापन समय-सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)-2020

| दस्तावेज सत्यापन दिनांक | प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से) | द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से) |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 31-08-2020 | VS010420101166 | VS040420101198 |
| | VS010420101168 | VS040420101199 |
| | VS010420101169 | VS040420101200 |
| | VS010420101170 | VS040420101208 |
| | VS010420101171 | VS040420101252 |
| | VS010420101172 | VS050420101201 |
| | VS010420101176 | VS050420101202 |
| | VS010420101177 | VS050420101204 |
| | VS010420101216 | VS050420101206 |
| | VS010420101288 | VS050420101221 |
| | VS010420101314 | VS050420101437 |
| | VS020420101174 | VS060420101210 |
| | VS020420101175 | VS060420101214 |
| | VS020420101180 | VS060420101215 |
| | VS020420101181 | VS070420101213 |
| | VS020420101182 | VS070420101217 |
| | VS020420101183 | VS070420101218 |
| | VS020420101184 | VS070420101219 |
| | VS020420101185 | VS070420101232 |
| | VS020420101196 | VS070420101261 |
| | VS020420101207 | VS080420101222 |
| | VS020420101227 | VS080420101223 |
| | VS020420101311 | VS080420101224 |
| | VS030420101186 | VS080420101229 |
| | VS030420101189 | VS080420101281 |
| | VS030420101209 | VS080420101298 |
| | VS030420101236 | VS090420101230 |
| | VS030420101238 | VS090420101249 |
| | VS030420101270 | VS090420101259 |
| | VS040420101192 | VS090620101426 |
| | VS040420101194 | VS100420101233 |
| | VS040420101197 | VS100420101235 |

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

दस्तावेज सत्यापन समय-सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)-2020

| दस्तावेज सत्यापन दिनांक | प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से) | द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से) |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 01-09-2020 | VS100420101237 | VS130420101264 |
| | VS100420101245 | VS130420101265 |
| | VS100420101276 | VS130420101268 |
| | VS100620101427 | VS130420101285 |
| | VS100620101428 | VS130420101306 |
| | VS110420101239 | VS140420101269 |
| | VS110420101240 | VS140420101272 |
| | VS110420101242 | VS140420101277 |
| | VS110420101275 | VS140420101278 |
| | VS110620101429 | VS140420101279 |
| | VS110620101430 | VS140420101280 |
| | VS110620101431 | VS140420101282 |
| | VS110620101435 | VS140420101283 |
| | VS110620101438 | VS140420101286 |
| | VS110620101439 | VS140420101289 |
| | VS120420101243 | VS140420101291 |
| | VS120420101244 | VS140420101292 |
| | VS120420101246 | VS140420101299 |
| | VS120420101247 | VS140420101312 |
| | VS120420101248 | VS140620101443 |
| | VS120420101250 | VS150420101290 |
| | VS120420101260 | VS150420101293 |
| | VS120420101271 | VS150420101294 |
| | VS120420101274 | VS150420101295 |
| | VS120420101284 | VS150420101296 |
| | VS120620101432 | VS150420101297 |
| | VS120620101433 | VS150420101300 |
| | VS120620101434 | VS150420101301 |
| | VS130420101253 | VS150420101302 |
| | VS130420101254 | VS150420101304 |
| | VS130420101255 | VS150420101330 |
| | VS130420101256 | VS160420101303 |

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

दस्तावेज सत्यापन समय-सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)-2020

| दस्तावेज सत्यापन दिनांक | प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से) | द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से) |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 02-09-2020 | VS160420101305 | VS180320100006 |
| | VS160420101307 | VS180320100007 |
| | VS160420101308 | VS180320100008 |
| | VS160420101309 | VS180320100009 |
| | VS160420101310 | VS180320100010 |
| | VS160420101313 | VS180320100011 |
| | VS160420101315 | VS180320100012 |
| | VS160420101316 | VS180320100013 |
| | VS160420101317 | VS180320100014 |
| | VS160420101319 | VS180320100015 |
| | VS160420101320 | VS180320100016 |
| | VS160420101321 | VS180320100017 |
| | VS160420101322 | VS180320100018 |
| | VS160420101323 | VS180320100019 |
| | VS160420101324 | VS180320100020 |
| | VS160420101325 | VS180320100021 |
| | VS160420101326 | VS180320100022 |
| | VS160420101327 | VS180320100023 |
| | VS160420101328 | VS180320100024 |
| | VS160420101329 | VS180320100025 |
| | VS160420101331 | VS180320100026 |
| | VS160420101332 | VS180320100027 |
| | VS160420101333 | VS180320100028 |
| | VS160420101334 | VS180320100029 |
| | VS160420101335 | VS180320100030 |
| | VS160420101336 | VS180320100031 |
| | VS160620101436 | VS180320100032 |
| | VS180320100001 | VS180320100033 |
| | VS180320100002 | VS180320100034 |
| | VS180320100003 | VS180320100035 |
| | VS180320100004 | VS180320100036 |
| | VS180320100005 | VS180320100037 |

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

दस्तावेज सत्यापन समय-सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)-2020

| दस्तावेज सत्यापन दिनांक | प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से) | द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से) |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 03-09-2020 | VS180320100038 | VS190320100049 |
| | VS180320100039 | VS190320100050 |
| | VS180320100040 | VS190320100055 |
| | VS180320100042 | VS190320100058 |
| | VS180320100065 | VS190320100062 |
| | VS180320100079 | VS190320100066 |
| | VS180320100084 | VS190320101110 |
| | VS180320100087 | VS190320101114 |
| | VS180320100100 | VS190320101212 |
| | VS180320101111 | VS190320101228 |
| | VS180320101120 | VS190620101444 |
| | VS180320101121 | VS190620101447 |
| | VS180320101125 | VS190620101448 |
| | VS180320101128 | VS200320100051 |
| | VS180320101132 | VS200320100052 |
| | VS180320101149 | VS200320100053 |
| | VS180320101157 | VS200320100054 |
| | VS180320101167 | VS200320100056 |
| | VS180320101220 | VS200320100057 |
| | VS180320101257 | VS200320100059 |
| | VS180620101440 | VS200320100060 |
| | VS180620101441 | VS200320100061 |
| | VS180620101442 | VS200320100102 |
| | VS180620101445 | VS200320100106 |
| | VS180620101446 | VS200320101118 |
| | VS190320100041 | VS200320101241 |
| | VS190320100043 | VS210320100063 |
| | VS190320100044 | VS210320100064 |
| | VS190320100045 | VS210320100068 |
| | VS190320100046 | VS210320100073 |
| VS190320100047 | VS210320101107 | |
| VS190320100048 | VS210320101158 | |

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

दस्तावेज सत्यापन समय-सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)-2020

| दस्तावेज सत्यापन दिनांक | प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से) | द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से) |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 04-09-2020 | VS210320101258 | VS250320100091 |
| | VS210320101318 | VS250320100093 |
| | VS220320100067 | VS250320100094 |
| | VS220320100069 | VS250320100095 |
| | VS220320100070 | VS250320100096 |
| | VS220320100080 | VS250320100098 |
| | VS220320101133 | VS250320100099 |
| | VS230320100071 | VS250320100101 |
| | VS230320100072 | VS250320100103 |
| | VS230320100074 | VS250320100104 |
| | VS230320100075 | VS250320100105 |
| | VS230320100077 | VS250320101108 |
| | VS230320100081 | VS250320101146 |
| | VS230320100097 | VS250320101150 |
| | VS230320101141 | VS250320101234 |
| | VS230320101188 | VS260320100107 |
| | VS230320101211 | VS260320100108 |
| | VS230320101231 | VS260320100109 |
| | VS230320101267 | VS260320101109 |
| | VS230320101287 | VS260320101112 |
| | VS240320100076 | VS260320101113 |
| | VS240320100078 | VS260320101115 |
| | VS240320100082 | VS260320101116 |
| | VS240320100092 | VS260320101117 |
| | VS240320101225 | VS260320101122 |
| | VS240320101263 | VS260320101139 |
| | VS250320100083 | VS260320101262 |
| | VS250320100085 | VS260320101273 |
| | VS250320100086 | VS270320101119 |
| | VS250320100088 | VS270320101123 |
| VS250320100089 | VS270320101124 | |
| VS250320100090 | VS270320101126 | |

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

दस्तावेज सत्यापन समय-सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)-2020

| दस्तावेज सत्यापन दिनांक | प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से) | द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से) |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 05-09-2020 | VS270320101130 | |
| | VS270320101136 | |
| | VS270320101137 | |
| | VS270320101142 | |
| | VS270320101187 | |
| | VS270320101190 | |
| | VS270320101203 | |
| | VS280320101127 | |
| | VS280320101129 | |
| | VS280320101131 | |
| | VS280320101135 | |
| | VS280320101151 | |
| | VS280320101162 | |
| | VS280320101165 | |
| | VS280320101191 | |
| | VS280320101193 | |
| | VS280320101195 | |
| | VS280320101205 | |
| | VS290320101134 | |
| | VS290320101138 | |
| | VS290320101140 | |
| | VS290320101143 | |
| | VS290320101144 | |
| | VS290320101145 | |
| | VS290320101173 | |
| | VS290320101226 | |
| | VS300320101147 | |
| | VS300320101148 | |
| | VS300320101152 | |
| | VS300320101153 | |
| | VS300320101154 | |
| | VS300320101179 | |
| | VS300320101251 | |
| | VS300320101266 | |
| | VS310320101155 | |
| VS310320101156 | | |
| VS310320101159 | | |
| VS310320101160 | | |
| VS310320101161 | | |
| VS310320101163 | | |
| VS310320101164 | | |
| VS310320101178 | | |

टीप :- आयोग द्वारा दस्तावेज बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी दस्तावेज बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

30.8.2020
परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर